प्रत्याशी सर्वे से लेकर टिकट वितरण तक मुख्यमंत्री रहे सुपर एक्टिव

भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जोधपुर संभाग में रहा, जहां उसने 87 प्रतिशत निकायों में विजय प्राप्त की

जयपुर, 22 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में इस बात को साबित कर दिया है कि यदि किसी भी चुनाव को जमीनी मुद्दों और मजबूत संगठनात्मक रणनीति के साथ लड़ा जाए तो सफलता मिलना तय है। मुख्यमंत्री जहां प्रत्याशी सर्वे से लेकर टिकट वितरण तक सुपर एक्टिव रहे। वहीं, राजस्थान में पहली बार निकाय चुनाव प्रचार में रोड शो जैसा मॉडल स्थापित किया। इसी मॉडल के परिणाम स्वरुप, भाजपा ने वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत, 309 निकायों में एक साथ हुए चुनाव में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए अब तक घोषित 303 निकायों में से 200 में अपना प्रमुख बना लिया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

संभागवार निकाय चुनाव परिणाम पर नजर डाली जाए तो भाजपा का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जोधपुर में रहा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तीन बार के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत का गढ़ कहा जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विज़न के साथ काम करते हुए भाजपा ने यहां 87 प्रतिशत निकायों में अपना बोर्ड बनाया है। जोधपुर संभाग के कुल 41 निकायों में से भाजपी ने 35 में बोर्ड बनाया, जबकि कांग्रेस 5 बोर्ड तक सिमट कर रह गई।

भरतपुर संभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी क्षेत्र से आते हैं और संगठन में मजबूत पकड़ होने के कारण वे यहां की राजनीति को ग्राउंड जीरो से जानते हैं। इसी का परिणाम है कि भाजपा ने यहां 75 प्रतिशत निकायों में अपना बोर्ड बना लिया है।

अजमेर संभाग में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए कुल 69 प्रतिशत निकायों में बोर्ड बनाया है।

बीकानेर संभाग में भी भाजपा ने 66 प्रतिशत से अधिक निकायों पर कब्जा जमाया है। यहां कुल 37 निकायों में से भाजपा ने 24 में अपना बोर्ड बनाया, वहीं कांग्रेस ने 10 सीटें हासिल कीं।

कोटा और जयपुर संभाग में भी भाजपा ने आधे से अधिक निकायों में अपने प्रमुख बना लिए हैं। कोटा संभाग के कुल 28 निकायों में से भाजपा ने 15 और कांग्रेस ने 10 में अपना प्रमुख बनाया।

आमतौर पर स्थानीय निकाय चुनावों में सत्ताधारी दलों को एंटी-इन्कम्बेंसी और असंतोष का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों, शहरी विकास की प्राथमिकताओं और सुशासन को चुनाव का मुख्य एजेंडा बनाया। उन्होंने स्वयं अग्रिम मोर्चे पर रहकर चुनाव अभियान की कमान संभाली, प्रमुख शहरों में तूफानी प्रचार किया और संगठन व सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया।

> ■ आमतौर पर स्थानीय निकाय-चुनावों में सत्ताधारी दलों को एंटी-इन्कम्बेंसी और असंतोष का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्वयं अग्रिम मोर्चे पर रहकर चुनाव अभियान की कमान संभाली, प्रमुख शहरों में तूफानी प्रचार किया और संगठन व सरकार के बीच बेहतर तालमेल बैठाकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया।

बिहार, नाबालिग से बदसलूकी का आरोपी गिरफ्तार

पटना, 22 सितम्बर। बिहार के जमुई में नाबालिग से बदसलूकी के मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे आरोपी हरेराम यादव का पैर भागने के दौरान टूट गया। दोनों को जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

> ■ पुलिस की दबिश से भागते हुए आपसी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी।

अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) (कानून-व्यवस्था) केएस अनुपम ने मंगलवार को बताया कि पुलिस टीम कुंदर बराज के समीप आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। इसी दौरान पुलिस और आरोपियों का आमना-सामना हो गया। आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला किया और भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी। वहीं, भागने के दौरान हरेराम यादव का पैर टूट गया। दोनों का इलाज जमुई सदर अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि नंदन यादव और हरेराम यादव दोनों बालिग हैं। दोनों प्रतापपुर गांव के रहने वाले हैं और पेशे से ट्रैक्टर चालक हैं।

एसआईआर में तार्किक विसंगतियों का आधार भी बताएं- सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा लगता है तार्किक विसंगतियों के नोटिस किसी मशीन ने जारी किये हैं

नई दिल्ली, 22 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुनवाई करते हुए तार्किक विसंगतियों सम्बन्धी नोटिस जारी करने के तरीके पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी मशीन से जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने मामले पर सुनवाई के दौरान आज यह टिप्पणी की। कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

> ■ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि वोटर को यह भी नहीं बताया जा रहा कि उसका नाम तार्किक विसंगति में कैसे आया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि तार्किक विसंगतियों के साथ जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि वे 2019 में चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए। अब वे अगर दिल्ली में वोट डालेंगे और तार्किक विसंगति का नोटिस दिया जाएगा तो उसमें यह बताना जरूरी है कि इसका आधार क्या है? उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी को भी इस मामले में संवेदनशील और प्रशिक्षित होना चाहिए।

इससे पहले 17 सितंबर को इसी मामले की मेंशनिंग के दौरान, वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा था कि दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पहले ही 47 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाहर कर दिए गए थे। अब निर्वाचन आयोग ने तार्किक विसंगति के तहत 33 लाख लोगों को नोटिस जारी किया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया ही अस्पष्ट है।

मेंशनिंग के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने किस आधार पर वोटर लिस्ट से नाम काटे हैं। इसका खुलासा नहीं किया है, जबकि इसका खुलासा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर करने का नियम है। कुछ लोगों को नोटिस मिले हैं और कुछ लोगों को नोटिस नहीं मिले हैं। नोटिस में ये भी नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। भूषण ने कहा कि वोटर को ये भी नहीं बताया जा रहा है कि उनका नाम तार्किक विसंगति में कैसे आया है। ये प्रक्रिया पूरे तरीके से अस्पष्ट है।

एडवोकेट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुमार अग्रवाल को कथित रूप से गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही, कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दायर केस को वापस लेने की चेतावनी भी दी। इस बारे में तत्काल ही डीजीपी, मुख्य सचिव ओर एसीएस होम को लिखित में सूचना दी गई थी। इसके अलावा डागुर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को बुलाया और चेतावनी दी कि यदि जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो 24 सितंबर को डीजीपी व सीएस को पेश होना होगा। सरकारी अधिवक्ता ने कुछ देर बाद ही अदालत को बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बयान दर्ज कर लिए हैं। अदालत ने इस पर डीजीपी को जल्द व सख्त कार्रवाई के लिए कहा। मामले की आगामी सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

जल्दी ही ज़मींदोज़ हो जाएंगे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कृषि, सामाजिक न्याय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों सहित, कई अन्य कार्यालय शामिल हैं।

16 सितंबर को जारी सीपीडब्ल्यूडी के एक पत्र में कहा गया है कि प्लॉट नंबर 120, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली पर दो नए भवनों के निर्माण का टेंडर दिया जा चुका है। चूंकि प्रस्तावित भवन मौजूदा शास्त्री भवन और कृषि भवन की जगह पर बनाए जाने हैं, इसलिए सीपीडब्ल्युडी ने संबंधित अधिकारियों से 30 सितंबर तक परिसर खाली कर उसे सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

यह समय-सीमा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास के इस बड़े हिस्से के लिए योजना और टेंडर प्रक्रिया से वास्तविक निर्माण कार्य की ओर बढ़ने का संकेत है। टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, कर्तव्य भवन 4 और 5 परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3,155 करोड़ रुपये है, जिसमें पांच साल का संचालन और रखरखाव भी शामिल है। निर्माण की अवधि 24 महीने निर्धारित की गई है।

सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान में मौजूदा कई सरकारी कार्यालय भवनों को नए और एकीकृत सचिवालय परिसरों में बदलने की योजना है। शास्त्री भवन और कृषि भवन भी उन मौजूदा कार्यालय परिसरों में शामिल हैं, जिन्हें पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है। नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों को एक जगह एकत्रित करना और उनके बीच समन्वय में सुधार करना है।

दोनों परिसरों को खाली करने की प्रक्रिया में इन भवनों से संचालित मंत्रालयों और विभागों को पहले अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करना होगा, जिसके बाद निर्माण एजेंसी को स्थल का कब्जा दिया जा सकेगा।

सीपीडब्ल्यूडी के पत्र में इस प्रक्रिया का क्रम भी स्पष्ट किया गया है- परिसर खाली करना, जमीन सौंपना और निर्माण कार्य शुरू करने में सहयोग करना। यह पुनर्विकास केन्द्रीय सचिवालय को नए सिरे से व्यवस्थित करने की सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान में मौजूदा कार्यालय भवनों को आधुनिक सचिवालय परिसरों से बदलने की परिकल्पना की गई है, जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी समायोजित करने की क्षमता होगी।

इस कदम का तत्काल प्रभाव सरकारी कार्यालयों में दिखाई देगा, क्योंकि दोनों परिसरों में स्थित विभाग अपने स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। दीर्घकालिक बदलाव राजधानी के सबसे प्रमुख प्रशासनिक गलियारों में से एक में दिखाई देगा।

दिल्ली में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी पकड़ा

गिरफ्तारी से पहले पुलिस व आरोपी के बीच संक्षिप्त फायरिंग भी हुई

नई दिल्ली, 22 सितंबर। राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास 17 वर्षीय नाबालिग से कथित गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिस के साथ संक्षिप्त मुठभेड़ हुई है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच संक्षिप्त फायरिंग हुई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अन्य दो आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है।

> ■ सोमवार को नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर के पास पार्क में गई थी। वहां तीन आरोपियों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर लड़की को धमकाया व दुष्कर्म किया।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के मुताबिक, लड़की सोमवार शाम करीब सात बजे अपने दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर गई थी। अधिकारियों ने बताया कि पूजा-अर्चना करने के बाद दोनों शाम करीब 7.30 बजे एक पार्क में चले गए, जहां 25 से 30 वर्ष की आयु के तीन आरोपी कथित तौर पर उनके पास आए और उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया।

आरोपियों ने कथित तौर पर दोनों को धमकी दी और उनमें से एक ने लड़की के दोस्त को पकड़ लिया, जिसके बाद तीनों व्यक्तियों ने लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि कालकाजी मंदिर और इस्कॉन मंदिर के पास कथित दुष्कर्म के संबंध में रात करीब 8.45 बजे सूचना मिली, जिसके बाद एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली निवासी लड़की को चिकित्सीय जांच के लिए ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि उसके बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अमेरिका का एफ-35 लड़ाकू विमान जोधपुर युद्धाभ्यास में शामिल होगा

नई दिल्ली, 22 सितंबर। भारतीय वायु सेना की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास "तरंग शक्ति" में इस बार भी दुनिया के फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरेंगे, जिसमें अमेरिका का पांचवीं पीढ़ी का एफ-35 लड़ाकू विमान शामिल होगा। वैसे तो भारत की वायु सेना एफ-35 के साथ विदेशों में कई बार एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में हिस्सा ले चुकी है, लेकिन यह पहला मौका है, जब अमेरिका का यह शक्तिशाली विमान हवाई युद्धाभ्यास में शामिल होने भारत आ रहा है। इस अभ्यास में 40 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे, जिसमें भारतीय वायु सेना अपने सभी प्रमुख एयरक्राफ्ट तैनात करेगी, जिनमें फ्रंटलाइन राफेल और सुखोई-30 फाइटर जेट शामिल हैं।

राजस्थान के जोधपुर में 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति के दूसरे संस्करण में 07 देश अपने विमानों के साथ हिस्सा लेंगे।

राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव 16 अक्टूबर को होगा

नई दिल्ली, 22 सितंबर। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव तथा पश्चिम बंगाल की एक सीट के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम मंगलवार को घोषित किया। सभी 12 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा और उसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना होगी।

आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है।

उत्तर प्रदेश से जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव के अलावा, अरुण सिंह, बृजलाल, बीएल वर्मा, नीरज शेखर, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, रामजी, सीमा और दिनेश शर्मा शामिल हैं। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी 25 नवंबर को समाप्त होगा। वहीं, पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर रुक्मिणी मलिक के इस्तीफा देने से हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 06 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 07 अक्टूबर को होगी तथा उम्मीदवार 09 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।

> ■ उत्तर प्रदेश की दस तथा उत्तराखंड की एक सीट के साथ प.बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव भी होगा

सीबीआई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने में सहायता मिली। इस आपराधिक कृत्य से बैंक को कुल 12.14 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई ने मामले की विस्तृत जांच करते हुए 5 मई, 2022 को तीनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।

उत्तर प्रदेश के मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद आई समाजवादी पार्टी सरकार ने भी इसे आगे नहीं बढ़ाया।

विभाजन के विचार के क्रियान्वयन के रास्ते में गंभीर कानूनी, प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक बाधाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, नए राज्यों का गठन केवल संसद कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर विधेयक लाना होगा, राज्य विधानसभा को उसकी राय के लिए भेजना होगा, हालांकि उसकी राय बाध्यकारी नहीं होती। इसके बाद दोनों सदनों में साधारण बहुमत से विधेयक पारित होगा और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी। विधायी प्रक्रिया के अलावा, व्यावहारिक स्तर पर भी कई जटिलताएं हैं, जिनमें संपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा, जल और बिजली के अधिकार, सिविल सेवा कैडर, उच्च न्यायालय और संस्थागत ढांचे का विभाजन शामिल हैं। पिछले पुनर्गठनों, जैसे 2000 में उत्तराखंड के गठन में भी कर्मचारियों और संसाधनों के बंटवारे को लेकर लंबे समय तक विवाद चले थे।

उत्तर प्रदेश के विभाजन की किसी भी गंभीर पहल की वजह से निश्चित रुप से अन्य राज्यों में भी इसी तरह की मांगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ, प.बंगाल में गोरखालैंड या अन्य बड़े राज्यों में नए विभाजन की मांगें। इससे संघीय राजनीति और जटिल हो सकती है तथा क्षेत्रीय आंदोलनों की एक श्रृंखला शुरू होने का जोखिम पैदा हो सकता है। फिलहाल राजभर का ये बयान एक बार फिर चुनावी दबाव बनाने का साधन तो हो सकता है, लेकिन इसका तत्काल प्रशासनिक वास्तविकता के रूप में आना तो बहुत दूर की कौड़ी है।

क्या यूएन जैसे महत्वपूर्ण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फिलिस्तीनियों की मौत हुई है।

वहीं, नेतन्याहू ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए इज़रायलियों की उस निर्मम हत्या की ओर इशारा किया है, जिन्हें उनके घरों में बिना किसी चेतावनी के मार दिया गया था। हमास ने बिना किसी उकसावे या कारण के एक इज़रायली बस्ती पर हमला किया था और लोगों की हत्या करने के साथ ही कुछ लोगों को बंधक बनाकर गाज़ा में हमास के कब्जे वाले इलाकों में ले गए थे। इसके जवाब में इज़रायल ने जवाबी कार्रवाई की थी।

ममदानी ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का आ ान तभी किया था, जब उनकी यूएनजीए यात्रा की घोषणा हुई थी। हालांकि, बाद में ममदानी ने स्वीकार किया कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सत्र में शामिल होने आए किसी विदेशी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है।

> ■ मैसेज देने के इस बढ़ते चलन से सबसे बड़ा नुकसान भारत जैसे उभरते देशों को हो रहा है, जो यूएन को गंभीरता से लेते हैं और वहाँ अपनी पोज़ीशन मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं।

यूएनजीए में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा एआई (आर्टिफिशल इंटैलिजैंस) के भविष्य और इस क्षेत्र में होने वाले विकास के लिए ग्लोबल रैगुलेशन का होगा, ताकि यह नई तकनीक किसी वैश्विक तबाही का कारण न बने।

यूएनजीए में एक प्रमुख अनुपस्थिति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की होगी। शी यूएनजीए में शामिल नहीं होंगे और सीधे वॉशिंगटन जाएंगे, जहां उनके समकक्ष डॉनल्ड ट्रंप की ओर से उनके लिए भव्य और आंडबरपूर्ण स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। शी का यूएनजीए में शामिल नहीं होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जी20 नेताओं के लिए आयोजित डिनर में शामिल नहीं हुए थे।

कुछ अफवाहें चल रही थीं कि शी दिल्ली में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और उन्हें एक विशेष विमान से वापस बीजिंग ले जाया गया था। वॉशिंगटन में डॉनल्ड ट्रंप के स्वागत समारोह में उनकी मौजूदगी पर इस बात के किसी भी संकेत के लिए बारीकी से नज़र रखी जाएगी, चीनी नेता की तबीयत ठीक नहीं है।

पाकिस्तान के दोस्त टर्की ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के अनुसार, अगस्त में तुर्किये ने भारत से प्रतिदिन 1,20,000 बैरल से अधिक डीज़ल आयात किया, जबकि अमेरिका से आयात करीब 90,000 बैरल प्रतिदिन रहा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये दोनों ही आंकड़े 2017 से कैप्लर के डेटा में दर्ज सबसे ऊँचे मासिक स्तर थे। इसी दौरान, अगस्त में तुर्किये का रूस से डीज़ल आयात घटकर करीब 80,000 बैरल प्रतिदिन रह गया, जबकि इस साल के पहले के महीनों में यह 2,00,000 बैरल प्रतिदिन से अधिक था।

डैलस स्थित एनर्जी इकॉनमिस्ट अनस अलहज्जी ने एक्स पर इस बदलाव को उजागर करते हुए लिखा, "हैरानी की बात है।" उन्होंने कहा, "अगस्त में भारत से तुर्किये को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, सालाना आधार पर करीब पांच गुना बढ़ोतरी। इसका अधिकांश हिस्सा रिलायंस ने भेजा।"

रूस लंबे समय से तुर्किये के डीज़ल आपूर्ति पर हावी रहा है। तुर्किये की "एनर्जी मार्केट रैगुलेटरी अथॉरिटी (ईएमआरए) के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में तुर्किये के डीज़ल आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 85 प्रतिशत थी और उसने लगभग 2,81,000 बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति की थी।

एर्दोगन के नेतृत्व वाले तुर्किये के लिए यह निर्भरता अचानक कमज़ोरी बन गई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस की रिफाइनरियों और घरेलू ईंधन उपलब्धता में व्यवधान पैदा होने के बाद रूस ने डीज़ल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए। रॉयटर्स के अनुसार, तुर्किये का रूस से डीज़ल आयात जुलाई में घटकर करीब 1,00,000 बैरल प्रतिदिन और अगस्त में करीब 80,000 बैरल प्रतिदिन रह गया। इसके कारण अगस्त में तुर्किये के डीज़ल आयात में रूस की हिस्सेदारी घटकर करीब 20 प्रतिशत रह गई।

सप्लाई के वैकल्पिक स्रोतों पर भी दबाव है।

मध्य पूर्व की रिफाइनरियों को युद्ध से संबंधित व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होने वाली शिपिंग ईरान के व्यापक संघर्ष से प्रभावित हुई है। ग्लोबल डीज़ल मार्केट में आपूर्ति की स्थिति बहुत तंग है क्योंकि, रूस और मध्य पूर्व में रूकावटों के कारण रिफाइंड ईंधन की उपलब्धता कम हो गई है।

इस स्थिति ने तुर्किये की रिफाइनरियों और कारोबारियों को ईंधन के लिए दूर-दराज के विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। और इसका एक समाधान भारत बना।

रॉयटर्स द्वारा बताए गए कैप्लर के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में भारत से तुर्किये को डीज़ल की आपूर्ति 1,20,000 बैरल प्रतिदिन से अधिक रही। 2017 से उपलब्ध उसके रिकॉर्ड में यह किसी एक महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। ब्रिटेन स्थित डेटा विश्लेषण और बाजार संबंधी जानकारी देने वाली कंपनी "एनर्जी आस्पेक्ट्स" का अनुमान इससे कम, करीब 74,000 बैरल प्रतिदिन है। लेकिन यह भी 2022 के बाद से तुर्किये को भारत की सबसे बड़ी शिपमैंट होगी। लंबे समय के व्यापार आंकड़े बताते हैं कि अगस्त की यह बढ़ोतरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।

भारत ने 2025 में तुर्किये को 5,62,421 टन डीज़ल का निर्यात किया था और रूस तथा मिस्र के बाद वह तुर्किये का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। 2023 में तुर्किये को भारत का डीज़ल निर्यात 3,97,761 टन था, जबकि 2022 में यह 3,30,990 टन रहा था।

राष्ट्रपति ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिनेमाई यात्रा के लिए प्रदान किया गया, जिसने कलाकारों की पीढ़ि यों को प्रेरित किया है। अभिनेता अनंत नाग ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को उन कलाकारों और तकनीशियन को समर्पित किया, जिनके साथ उन्होंने काम किया। इस अवसर पर उन्होंने अभिनय के अपने शुरुआती सफर से जुड़े अनुभव साझा किए। उनके काम में बेहद लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक "मालगुडी डेज" भी शामिल है। उन्होंने पांच फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पांच कर्नाटक राज्य पुरस्कार जीते हैं। भारत सरकार ने उन्हें साल 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था।

मुख्यमंत्री आज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आयोजित पदयात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना करेंगे।ष्शाम 4:20 बजे रामदेवरा हेलीपैड पर युवाओं से संवाद करने के बाद, मुख्यमंत्री शाम को जयपुर लौटेंगे।

'वंदे मातरम् के सभी अंतरे नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(प्रिवेन्शन ऑफ इन्सल्ट्स टु नैशनल ऑनर एक्ट) के तहत राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया गया है।

कृष्णा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने कहा कि छह में से चार अंतरों में स्पष्ट रूप से हिंदू देवी-देवताओं के प्रति भक्ति का उल्लेख है और इन्हें गाने के लिए मजबूर करना संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन मनमाना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है और "बहुसंख्यक धार्मिक संदेश" को बढ़ावा देता है। मुरलीधर ने कहा, उन्होंने "राष्ट्रीय गीत" (नैशनल सॉन्ग) शब्द तो शामिल किया है, लेकिन अधिनियम में राष्ट्रीय गीत की कोई परिभाषा नहीं है। सरकारी विज्ञप्ति (ऑफिस मेमोरेन्डम) को भी गजट में प्रकाशित नहीं किया गया है। इसमें किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है।"

> ■ कृष्णा की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने कहा कि 6 में से चार अंतरों में हिंदू देवी-देवताओं के प्रति भक्ति का उल्लेख है, इन्हें गाने के लिए मजबूर करना संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उल्लंघन है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी कार्रवाही अस्पष्टता पर आधारित नहीं हो सकती और सरकार ने आम राय बनाए बिना "बहुत ज्यादा जल्दबाजी" में यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा, "आप इसे थोप नहीं सकते और इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि मूल अधिनियम में राष्ट्रीय गीत का कोई उल्लेख नहीं था और अब सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि यह केवल आम तौर पर गाए जाने वाले दो अंतरों तक सीमित नहीं है।

कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह वंदे मातरम् के केवल दो अंतरे गाएगी, पूरा गीत नहीं।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि "राष्ट्रीय गीत हमेशा से वंदे मातरम् ही माना जाता रहा है" और अदालतें राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर सवाल नहीं उठा सकतीं। न्यायाधीश ने कहा, "यह राज्य का विषय है। व्यक्ति यह तय कर सकता है कि वह एक अंतरा गाए या चार अंतरे। इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती।"

धर्मनिरपेक्षता पर बहस के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रगान में "ईश्वर" शब्द का इस्तेमाल होता है और पूछा कि क्या धार्मिक भाव संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्रभावित करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इतिहास पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि राष्ट्रीय गीत क्या है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि "संवैधानिकता इतनी संकीर्ण नहीं हो सकती" और उन्होंने विधायी प्रक्रिया का बचाव किया।

सुनवाई के दौरान उस समय तीखा मोड़ आया, जब मेहता ने कहा कि "कानून बनाना नक्सलियों के हिसाब नहीं होना चाहिए।"

मुरलीधर ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह टिप्पणी अनावश्यक थी, इसका सीधा प्रसारण हो रहा था और कानून अधिकारियों से मर्यादा की अपेक्षा की जाती है।

मुरलीधर ने कहा, "उन्हें इसे वापस लेना चाहिए।" बाद में जब मेहता ने दोहराया कि उन्हें अपनी टिप्पणी पर कोई खेद नहीं है, तो मुरलीधर ने "कड़ा विरोध" दर्ज कराया। मेहता ने स्पष्ट किया कि उनका आशय यह था कि कानून बनाने का फैसला संवैधानिक होना चाहिए और इसे हथियारों या असंवैधानिक तरीकों से निर्देशित नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अदालत ने इस टिप्पणी को रिकॉर्ड पर नहीं लिया है और जोर देकर कहा कि संवैधानिक अदालतों की विश्वसनीयता इसलिए है, क्योंकि जिन लोगों पर आतंकवादी होने का आरोप है, उन पर भी "कंगारू अदालतों" के बजाय, कानून के शासन के तहत मुकदमा चलया जाता है।

केन्द्र से जवाब मांगते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस सवाल पर विचार करेगी कि वंदे मातरम् न गाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। साथ ही, बैंच ने यह भी माना कि वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत घोषित किए जाने के फैसले की दोबारा समीक्षा नहीं की जा सकती।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908